

मुरन्तार-नामा आम.

R. 22

hal Government Judicial Paper

अष्टम मात्रा :- 15/- रुपये

क्रिया :- 2.

जायद बही नं० 4

जिलद-बाबत महकमा सब-रजिस्ट्रार 173

कामत बसटाप
नोट-बहू खाना इन किम के
नोट के निचे की इस्तेमाल हो
नकले हैं जो माफूनी कितार नं०
4 के खाना कैलित में लिखे
माने हैं

सम्बर सुमार बन्दराल मुबामने
केमानोयन और मोईगत और
कीमत रजिस्ट्री व शीमर सुम
और लावान वसूल सुदा

सुलतान
13
17/2

सुलतान नाम
काग 10030
दिनांक: 4-12-98
फरी मील: 15-10
रहपमाल 2-10
कुल 2 17-10

बन्द पुत्र मुसदिराम गांव कैथली परगना भान्दल
पुर्णा जिला चम्पा का हूँ व उम्र 26 साल हूँ।
मुभाहर की भयलोग्यता व मकबूजा भूमि ताददी
बसरा नम्बरान 63, 64, 65, 66 रवाता खतौनी नम्बर
म्या मुहाल भद्रोह परगना भान्दल तहसील सखुणा
ना में ज़रतान देवदार, कैल व तोस के लोगे हुये हैं
वेडकमा माल से निशत देही लेने, मैडकमा वन विभाग
नादि लगवोन, ज़रखों को कटवोन, बेचने में असमर्थ हूँ
मैं अपने ओर से मुसम्मियान राजकुमार पुत्र होशार
मौड्डे परगना चुन्धी तहसील व जिला चम्पा व
लो पुत्र गुलाम मुस्तफा गांव जुआंस व सोभियाराम
राम गांव कैथली परगना भान्दल तहसील सखुणा
का जो अपना मुरन्तार-आम न्युक्त करके इकरार
अधिकार लिख देला हूँ कि मुरन्तार-आम उक्त
ज़रखों को निशान देही लेवें, मैडकमा वन विभाग
नादि लगवोन, ज़रखों को रुद कटवोन, चिरान, गिरान
फाशिलिंग अउर हासिल करें, मजदूर लगवोन डेहें
दे, ज़रखों को जिसे चौह बेचें, खम्ब वसूल करें,
कर बैन सा खजाना से रूपय हासिल करें, वतौर
अपने दस्तारत करें, सम्बन्धित विभाग से लिखा-
रें, आवश्यकता पडने पर वकील या खडैकोट न्युक्त
भी कर्मकाही मेरी भूमि मजदूर में लोगे ज़रखों को
बेचने में करी जहरी हो करें गरजो लमाप
राया मुरन्तार-आम उक्त का मुझे मन्जूर व कबूल

अतः मुरन्तार-नामा आम इजा खबर गवाहान के
करवा दिया ता नि प्रमाण रहे। मिति: - 04-12-98

हस्ताचार साक्षी
मुरन्तार दाज्ञा साक्षी
Sarmam Chaudhary शान चन्द पुत्र गोविन्द
पुत्र भण्णु शम गांव पुदन परगना भान्दल
इ परगना नजीर तहसील सखुणा जिला
- सखुणा जिला चम्पा (हि.पु.)
- चम्पा हि.पु.

15-12-98

4-12-98
4-12-98
4-12-98

विकास चक्र जो बंद

जान सिंह पुत्र माण्डर राजा जो निल
निल पुत्र के मांडर निर दिवा

जायद बही न
जिलद-बावत महकमा

2

गुमलगा (गंगा) मर

2000/10/10

गोपनीय

4-12-98

प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त
दस्तावेज मर उपर्युक्त कि

4-12-98

30
II
V
4-12-98 173

15/2